FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर अलवर** मुकाम **अलवर**

उनवान **सरकार** बनाम **ग्यारसीलाल यादव**

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी आर बी एक्ट

प्रा0पत्र नम्बर 15/54/2023 दायर दिनांक 13.03.2023

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.03.2023	पत्रावली आज प्रार्थी वकील के प्रा0पत्र के आधार पर पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पिकअप रजि0 संख्या आर.जे.–14–जी.एल.–1730 को सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबत थानाधिकारी थाना किशनगढ़–बास से अभिशंषा/टिप्पणी ली गयी। थानाधिकारी किशनगढ़–बास द्वारा पत्रांक 1024 दिनांक 15.03.2023 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि प्ररकण में जप्तशुदा वाहन को नियमानुसार सुपुर्दगी पर दिया जाता है तो मुकामी पुलिस को कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस थाना की अभिशंषा के आधार पर जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामे पर दिये जाने हेतु प्रा0पत्र स्वीकार किया जाता है। यदि प्रार्थी 5,00,000/– (शब्देन पांच लाख रूपये मात्र) का सुपुर्दनामा एवं इसी कदर तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश करे तथा जब्तशुदा वाहन यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित ना हो तो प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुर्दनामे पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी सुपुर्दनामे पर दिये गये वाहन को खुर्द–बुर्द नहीं करेगा, जब भी उक्त वाहन की न्यायालय हाजा अथवा अन्य न्यायालय को आवश्यकता होगी तो वाहन को प्रस्तुत करना होगा। पत्रावली वास्ते पेश करने सुपुर्दनामा/तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश करने हेतु पत्रावली पूर्व से नियत दिनांक 27.03.2023 को पेश हो। **जिला कलक्टर** **अलवर**	

24.03.2023	पत्रावली वकील प्रार्थी के प्रा0पत्र के आधार पर पेश हुई। वकील प्रार्थी द्वारा निर्धारित राशि के तस्दीकशुदा जमानतनामा/सुपुर्दनामा पेश किये। जो तस्दीक कर शामिल पत्रावली किये गये। थानाधिकारी किशनगढ़–बास को जप्तशुदा वाहन सुपुर्द करने हेतु अहकाम जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर अलवर